


राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- प.(42)/मुसप्र/नियमितिकरण/2009-10/2014

दिनांक:-2.3.2010

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग(कर अनुभाग) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.12.09 के क्रम में मण्डल के परिपत्र क्रमांक प.(42) /मुसप्र/नियमितिकरण/ 2009-10/1688 दिनांक:-15.1.2010 द्वारा आवासो के नियमन हेतु विभिन्न चरणों में की जाने वाली कार्यवाही का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। उक्त क्रम में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि दिनांक 9.3.2010 तक बढ़ायी जाती है। इस तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों में वांछित कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 31.03.2010 से पूर्व पंजीयन विलेख पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें। परिपत्र में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेगी।



(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव/निदेशक विधि, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पी. एण्ड एम./वितीय सलाहकार/
तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त-वृत्त-..... रा0आ0म0,
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-.....रा0आवम0,
7. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबन्धक